



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुरप्रथम अपील सं. 505/2017

{सिविल वाद क्रमांक 26 ए/2011 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, धमतरी द्वारा पारित निर्णय दिनांक
29-8-2017 से उत्पन्न}

-
1. दासोदा बाई, पुत्री साहूकार वर्मा, उम्र 50 वर्ष,
 2. नरेन्द्राई बाई, पुत्री साहूकार वर्मा, उम्र 48 वर्ष,
 3. कुंती बाई, पुत्री साहूकार वर्मा, उम्र 44 वर्ष,
- सभी ग्राम रत्नाबांधा, तहसील एवं जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं।

(वादी) ---अपीलकर्तागण

बनाम

1. फकीरचंद वर्मा, पिता साहूकार वर्मा, उम्र 46 वर्ष,
 2. पुनूलाल, पिता साहूकार वर्मा, उम्र 42 वर्ष,
- दोनों ग्राम रत्नाबांधा, तहसील एवं जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं।
3. सूर्याजी राव, पिता स्वर्गीय केशव राव पवार, उम्र 58 वर्ष, जाति मराठा, निवासी मराठापारा,
तहसील व जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।
 4. छत्तीसगढ़ राज्य, कलेक्टर के द्वारा , धमतरी, छत्तीसगढ़

(प्रतिवादी) ---उत्तरवादीगण



प्रथम अपील सं. 505/2017

अपीलकर्तागण हेतु :--: श्री सोमनाथ वर्मा, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 1:- श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता, श्री पुष्पेन्द्र कुमार पटेल, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 2 तथा 3 :- श्री बी.पी. सिंह, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 4/राज्य :-- श्री राहुल तामस्कर, शासकिय अधिवक्ता।

युगल पीठ: माननीय श्री संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

एवं

माननीय श्री दीपक कुमार तिवारी, न्यायाधीश।

पीठ पर निर्णय

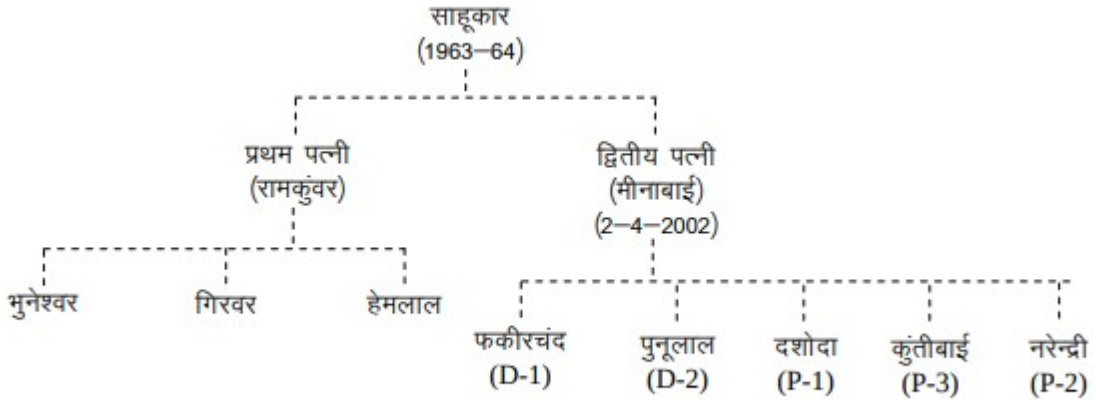
(11.08.2025)

श्री संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अंतर्गत इस न्यायालय के सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, यहाँ के अपीलकर्ताओं/वादीगण ने यह अपील दायर की है, जिसमें सिविल वाद संख्या 26 ए/2011 में अपर जिला न्यायाधीश, धमतरी द्वारा पारित दिनांक 29-8-2017 के निर्णय एवं डिक्री की वैधानिकता, वैधता एवं सत्यता पर प्रश्न उठाया गया है, जिसके द्वारा विद्वान अपर जिला न्यायाधीश/ विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा दायर सिविल वाद को कोई गुणदोष न पाते हुए खारिज कर दिया था।

(सुविधा की दृष्टि से, आगे पक्षकारों को उनकी दर्शाई गई स्थिति और विचारण न्यायालय के समक्ष वाद में दी गई रैंकिंग के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।)

2. निम्नलिखित वंशावली वृक्ष पक्षों के बीच संबंधों को प्रदर्शित करता है :-



3. साहूकार वर्मा मूल भूमि स्वामी थे, जिनकी मृत्यु वर्ष 1963-64 में हो गई। उनकी पहली पत्नी रामकुंवर के तीन पुत्र और दूसरी पत्नी मीना बाई के दो पुत्र और तीन पुत्रियाँ थीं, जो क्रमशः प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 तथा वादी हैं। वाद संपत्ति से संबंधित विवाद, सबसे पहले, सिविल वाद क्रमांक 71 ए/1985 का विषय था, जिसका निराकरण सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, धमतरी द्वारा दिनांक 28-2-1986 के निर्णय एवं डिक्री द्वारा एक ओर पहली पत्नी रामकुंवर के पुत्रों और दूसरी ओर दूसरी पत्नी मीना बाई के पुत्रों एवं पुत्रियों के बीच हुए करार के आधार पर किया गया था और उक्त निर्णय की कंडिका 3 में निम्नलिखित डिक्री पारित की गई थी:-

"3- उपरोक्त शर्तों के आधार पर निम्न आदेश एवं डिक्री दिया जाता है कि:-

(क) वादीगण वादग्रस्त भूमि ख.न. 106/2 रकबा 13 डिसमिल, 31/5 रकबा 33 डि., 139/1 एवं 139/2 रकबा क्रमशः 23 एवं 45 डिसमिल कुल 68 डिसमिल, 134/1 रकबा 52 डिसमिल, 143/14 रकबा 50 डिसमिल, 49/6 रकबा 1-50 एकड़ ख.नं. 122 रकबा 1-26 डि., ख.नं. 123/1 एवं 123/2 रकबा क्रमशः 55 एवं 75 डिसमिल, जो अनुसूची 'अ' में बताया गया है के मालिक एवं आधिपत्यधारी हैं। जिस पर प्रतिवादीगण भविष्य में वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न न करें।

(ब) अनुसूची 'अ' में उपरोक्त खसरा नंबर के अलावा ख.नं. 177/1 को छोड़कर शेष खसरा नंबर की भूमि पर प्रतिवादीगण का स्वामित्व के रूप में आधिपत्य एवं कब्जा रहेगा।

(स) अनुसूची 'अ' में दर्शाये ख.नं. 177/1 रकबा 88 डिसमिल जिसके कुछ भाग में मकान बना है एवं बाकी खुला है जो अनुसूची 'इ' में दर्शाया गया है के 45 डिसमिल भूमि जो अनुसूची 'इ' में लाल निशान से स.ड, इ, फ, ग, न में अंकित है का वादीगण का स्वामित्व एवं कब्जा रहेगा एवं शेष भूमि जो अनुसूची 'इ' में अ, ब, स.ड से दर्शाया गया है, का प्रतिवादीगण स्वामी एवं उनका कब्जा रहेगा। अनुसूची 'अ' एवं 'इ' डिक्री का एक भाग माना जावेगा।



(ड) अनुसूची 'ब' में दशयि पटवारी ह.नं. 50 (अ) की भूमि की भूमि पर प्रतिवादीगण का ही आधिपत्य एवं कब्जा रहेगा इस पर वादीगण का कोई हक नहीं रहेगा। और अनुसूची 'द' में अंकित मकान पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य एवं कब्जा रहेगा, जिस पर भी वादीगण का कोई हक नहीं रहेगा। अनुसूची 'ब' एवं अनुसूची 'द' डिक्री का एक भाग माना जावेगा।

(इ) अनुसूची 'अ' में अंकित भूमि के अलावा ग्राम रत्नाबांधा प.ह.नं. 46 तहसील धमतरी जिला रायपुर में स्व. श्री साहूकार के नाम पर जो कुछ भूमि है उसका प्रतिवादीगण का कब्जा एवं हक रहेगा। उस पर वादीगण का कोई हक या अधिकार नहीं है।

(फ) पक्षकार अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। अभिभावक शुल्क समय पर प्रमाणित होने पर अनुसूची अनुसार निर्धारित किया जावे।"

4. विचारण न्यायालय द्वारा 28-2-86 को पारित आदेश के अनुपालन में, वादग्रस्त संपत्ति तहसीलदार द्वारा प्र.पी-2 के माध्यम से वादी और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त रूप से पंजीकृत कर दी गई।

तत्पश्चात, वादी का यह दावा है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने 19-3-1991 के समझौते के अनुसार प्र.पी-9 के माध्यम से उनके नाम हटा दिए, जो कि स्वयं एक जाली दस्तावेज है और प्रतिवादी संख्या 2 ने उनके नाम में दाखिल-खारिज का लाभ उठाकर, 13-9-2011 के विक्रय विलेख द्वारा 1.24 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को बेच दी, जिसके परिणामस्वरूप वादग्रस्त संपत्ति में 1/5 हिस्से के स्वामित्व और विभाजन की घोषणा हेतु वाद दायर किया गया।

5. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अलग से लिखित बयान दाखिल किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि मीना बाई की मृत्यु के बाद, 19-3-1991 के करार के आधार पर, जिसके द्वारा वादीगण को वाद की संपत्ति में उनका हिस्सा प्राप्त हुआ है, केवल प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के नाम ही राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए गए हैं और प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के नाम दर्ज किए गए हैं, इस प्रकार, वादीगण का वाद की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है।

6. प्रतिवादी क्रमांक 2 ने भी अलग से लिखित बयान दाखिल किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि 19-3-1991 के करार के अनुसार, प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के नाम राजस्व दस्तावेजों में पुनः दर्ज किए गए और उसके बाद, प्रतिवादी क्रमांक 2 ने 13-9-2011 को प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी क्रमांक 3 को बेच दी, इस प्रकार, यह वाद खारिज किए जाने योग्य है।



प्रथम अपील सं. 505/2017

7. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 7 में विवाद्यक निर्धारित किए हैं और उनका उत्तर दिया है, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादग्रस्त भूमि कुल खसरा नंबर 07 कुल रकबा 2.48 हे. भूमि पर प्रत्येक वादीगण 1/5 एवं संयुक्त रूप से 3/5 हिस्सा का राजस्व न्यायालय से बंटवारा कराकर कब्जा प्राप्त कर घोषणात्मक आज़ाप्ति प्राप्त करने का अधिकारी हैं?	"नहीं"
2	क्या वादीगण पर प्रतिवादी क्र. 02 द्वारा प्रतिवादी क्र. 03 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 13.09.2011 बंधनकारी नहीं है?	"नहीं"
3	क्या प्रतिवादी क्र. 02 द्वारा प्रतिवादी क्र. 03 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 13.09.2011 में वादीगण का 3/5 हिस्सा	"नहीं"

	तक किये गये अंतरण अवैध एवं शून्य है?	
4	क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि में से 3/5 भाग तक का हिस्सा तक प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की आज़ाप्ति प्राप्त करने का अधिकारी हैं?	"नहीं"
5	क्या प्रकरण में पक्षकारों का असंयोजन है?	"नहीं"
6	क्या प्रतिवादी क्र. 03 वादग्रस्त भूमि में से 1/2 भाग का सद्भाविक क्रेता है?	"हाँ"
7	क्या वादीगण ने वाद का उचित मूल्यांकन कर विधिवत् न्यायशुल्क चस्पा किये हैं?	"हाँ"
8	सहायता एवं व्यय?	कंडिका 15 अनुसार



विचारणीय प्रश्न क्र. 8 सहायता एवं व्यय-

15-उपरोक्त विवेचना एवं वादप्रश्न में निकाले गये निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। परिणामतः वादीगण की ओर से पेश वाद निरस्त किया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार जो भी कम हो प्रमाणित होने पर देय होगा।

8. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि वादीगण ने अपने बचाव में दसोदा बाई (पीडब्लू-1) से पूछताछ की है और अपना मामला साबित करने के लिए बीस दस्तावेज एक्स.पी-1 से पी-20 प्रदर्शित किए हैं, हालांकि, प्रतिवादियों ने अपना मामला साबित करने के लिए न तो किसी साक्षी से परीक्षा की है और न ही साक्षी के कठघरे में प्रवेश किया है।

9. विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और डिक्री द्वारा वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पक्ष में 19-3-1991 के करार द्वारा वाद की संपत्ति में अपना हिस्सा छोड़ दिया है, जिसके कारण यह अपील दायर की गई है।

10. श्री सोमनाथ वर्मा, यहां अपीलकर्ताओं / वादी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, यह प्रस्तुत करते हैं कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख के विपरीत निष्कर्ष दर्ज करके वाद को खारिज करने में पूरी तरह से अनुचित है। 28-2-1986 (एक्स.पी -1) के पहले के वाद में विचारण न्यायालय का निर्णय अंतिम हो गया है, जिसके द्वारा साहूकार वर्मा की दो पत्नियों के बीच विवाद का समाधान हो गया है और वाद की संपत्ति वादी और प्रतिवादी सं 1 और 2 के पक्ष में आ गई है और इसलिए वादी के पास वाद की संपत्ति में 1/5 हिस्से का अधिकार और शीर्षक होगा, क्योंकि मीना बाई की मृत्यु 2-4-2002 को हो गई थी। इसके अलावा, विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि तीन वादियों ने प्रतिवादी सं 1 और 2 के पक्ष में अपना हिस्सा छोड़ दिया है, उनके संस्करण की अनुपस्थिति में स्थापित नहीं होता है इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 साक्षी के कठघरे में नहीं आए, इसलिए 'विद्याधर बनाम माणिकराव एवं अन्य' मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। अतः, अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।



प्रथम अपील सं. 505/2017

11. प्रतिवादी सं. 1/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार भी आक्षेपित निर्णय और डिक्री का समर्थन करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि वादी ने प्रतिवादी सं. 1 और 2 के पक्ष में अपना हिस्सा छोड़ दिया है, इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय और डिक्री अपवादहीन है और अपील खारिज किए जाने योग्य है।

12. प्रतिवादी सं. 2 और 3/प्रतिवादी सं. 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह भी विवादित निर्णय और डिक्री का समर्थन करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि वादी ने प्रतिवादी सं. 1 और 2 के पक्ष में अपना हिस्सा छोड़ दिया है, जिसे वादी द्वारा स्वयं एक्स.पी-9 के रूप में दायर किए गए दस्तावेज के आधार पर आक्षेपित निर्णय और डिक्री में विधिवत दर्ज किया गया है, इसलिए, वे अपने संस्करण और अपने दस्तावेज से अलग नहीं हो सकते हैं।

13. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेख का भी अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

14. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 31 में निहित प्रावधानों के तहत, इस अपील में, निर्धारण हेतु निम्नलिखित बिंदु उठते हैं: -

1. क्या विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया यह निष्कर्ष कि वादी अपने 1/3 हिस्से के हकदार नहीं हैं, सही है?

2. क्या 19-3-1991 के समझौते द्वारा, वादियों ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पक्ष में अपना हिस्सा त्याग दिया है?

15. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्वर्गीय साहूकार वर्मा की दो पत्नियाँ थीं, पहली पत्नी रामकुंवर और दूसरी पत्नी मीना बाई थीं। पहली पत्नी के पुत्रों और दूसरी पत्नी के पुत्र-पुत्रियों के बीच विवादित संपत्ति के विवाद का निराकरण प्र.पी-1 के तहत क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय में हुआ था और आक्षेपित संपत्ति वादी और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में संयुक्त रूप से आ गई थी और उसके बाद, प्र.पी-2 के तहत राजस्व अभिलेखों में उनके नाम विधिवत दर्ज किए गए और वे विवादित संपत्ति के संयुक्त धारक थे। हालाँकि,



उसके बाद, प्र.पी-9 के तहत, ऐसा प्रतीत होता है कि 19-3-1991 के करार के तहत, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करवा लिए। इस प्रकार, दिनांक 29-8-2017 के आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री के अनुसार, संपत्ति वादी और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पास संयुक्त रूप से थी और उसके बाद, दिनांक 19-3-1991 के करार द्वारा, वादियों ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पक्ष में अपना हिस्सा त्याग दिया, हालांकि, करार के रूप में उक्त त्याग विलेख विचारण न्यायालय के समक्ष दायर नहीं किया गया है। संपत्ति का त्याग करने वाला कोई भी दस्तावेज पंजीकृत दस्तावेज होना चाहिए और जब तक यह पंजीकृत स्वामित्व धारक द्वारा नहीं किया जाता है, इसे प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पक्ष में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने न तो विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है और न ही साबित किया है, हालांकि, उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष लिखित बयान में वादियों के स्वामित्व को स्वीकार किया है जिसके अभाव में यह नहीं माना जा सकता है कि दिनांक 19-3-1991 के करार द्वारा, वादियों ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पक्ष में अपने स्वामित्व त्याग दिया है।

16. येल्लपु उमा माहेश्वरी एवं अन्य बनाम बुद्ध जगदीश्वरराव एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी दस्तावेज के माध्यम से अचल संपत्ति के संबंध में अधिकार का त्याग अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य दस्तावेज है और यदि वह पंजीकृत नहीं है, तो वह पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 49 के साथ धारा 17 के तहत परिकल्पित एक अस्वीकार्य दस्तावेज बन जाता है (सीता राम भामा बनाम रामवतार भामा और कोरुकोंडा चलपति राव एवं अन्य बनाम कोरुकोंडा अन्नपूर्णा संपत कुमार¹ भी देखें)।

17. इसी प्रकार, विद्याधर (सुप्रा) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह यह अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ वाद का कोई पक्षकार साक्षी-कक्ष में उपस्थित होकर शपथ पर अपना पक्ष नहीं रखता और दूसरे पक्ष द्वारा जिरह के लिए प्रस्तुत नहीं होता, वहाँ यह उपधारणा उत्पन्न होगी कि उसके द्वारा प्रस्तुत मामला सही नहीं है, जैसा कि विभिन्न निर्णयों में कहा गया है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत उस पक्षकार के विरुद्ध उपधारणा की जाएगी जो साक्षी-कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: -



"जहां वाद का कोई पक्ष साक्षी-कक्ष में उपस्थित नहीं होता है और शपथ पर अपना मामला नहीं बताता है और दूसरे पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा करने के लिए खुद को प्रस्तुत नहीं करता है, तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि उसके द्वारा स्थापित मामला सही नहीं है जैसा कि सरदार गुरबख्श सिंह बनाम गुरदयाल सिंह [एआईआर 1927 पीसी 230:32 सीडब्ल्यूएन 119] के निर्णय से शुरू होकर विभिन्न उच्च न्यायालयों और प्रिवी काउंसिल द्वारा पारित निर्णयों की श्रृंखला में यह अभिनिर्धारित किया गया है। इसके बाद लाहौर उच्च न्यायालय ने किरपा सिंह बनाम अजयपाल सिंह [एआईआर 1930 लाह 1: आईएलआर 11 लाह 142] और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मार्तंड पंढरीनाथ चौधरी बनाम राधाबाई कृष्णराव देशमुख [एआईआर 1931 बॉम्बे 97:32 बॉम्बे एलआर 924] में निर्णय सुनाया गया। 225: 1970 एमपीएलजे 586] ने सरदार गुरबख्श सिंह मामले [एआईआर 1927 पीसी 230:32 सीडब्ल्यूएन 119] में प्रिवी काउंसिल के निर्णय का भी पालन किया गया। अर्जुन सिंह बनाम वीरेंद्र नाथ [एआईआर 1971 ऑल 29] में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि यदि कोई पक्षकार गवाह-कक्ष में प्रवेश करने से परहेज करता है, तो यह उसके खिलाफ प्रतिकूल अनुमान को जन्म देगा। इसी प्रकार, भगवान दास बनाम भीषण चंद [एआईआर 1974 पी एंड एच 7] में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के तहत उस पक्षकार के खिलाफ एक उपधारणा बनाई, जो साक्षी-कक्ष में प्रवेश नहीं किया था।

18. इस मामले में भी प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने यह दलील दी है कि वादग्रस्त संपत्ति वादी और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के संयुक्त स्वामित्व में थी, जिसे बाद में वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पक्ष में त्याग दिया था। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने अपने पक्ष में कथित त्याग विलेख, अर्थात् 19-3-1991 का करार, दाखिल नहीं किया है। यहाँ तक कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 भी 19-3-1991 के करार द्वारा अपने पक्ष में त्याग के ऐसे तर्क का समर्थन करने के लिए गवाह के कठघरे में नहीं आए।

19. इस मामले के परिप्रेक्ष्य में, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 यह साबित करने और स्थापित करने में विफल रहे हैं कि वादी ने पंजीकृत त्याग विलेख के अभाव में 19-3-1991 के करार द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पक्ष में अपना हिस्सा त्याग दिया है। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 वादी द्वारा अधिकार त्याग को साबित करने और स्थापित करने में भी विफल रहे हैं, क्योंकि प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना होगा क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 वादी द्वारा अपने पक्ष में किए गए त्याग विलेख का समर्थन करने के लिए साक्षी के



प्रथम अपील सं. 505/2017

कठघरे में नहीं आए और इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में 13-9-2011 के विक्रय विलेख द्वारा किया गया हस्तांतरण वादी पर बाध्यकारी नहीं है। इस प्रकार, प्रत्येक वादी वादपत्र के कंडिका 16 में दर्शाई गई वाद संपत्ति में 1/5 हिस्से के लिए हकदार होगा और दिनांक 13-9-2011 का विक्रय विलेख वादियों के हिस्से की सीमा तक बाध्यकारी नहीं है और विक्रय विलेख केवल प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से की सीमा तक ही वैध होगा।

20. तदनुसार, आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाता है और वादीगण को निम्नलिखित अनुतोष प्रदान की जाती है: -

1. दिनांक 13-9-2011 का विक्रय विलेख वादीगण पर बाध्यकारी नहीं है और केवल प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से की सीमा तक वैध है तथा प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से को छोड़कर, प्रतिवादी सं. 3 को बेची गई अन्य सभी वाद भूमि राजस्व प्राधिकारियों द्वारा विभाजन के लिए उपलब्ध होगी।

2. यह घोषित किया जाता है कि वादीगण और प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 प्रत्येक का घोषित वाद संपत्ति में 1/5 हिस्सा होगा और वे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 54 सहपठित आदेश 20 नियम 18 के अंतर्गत राजस्व न्यायालय द्वारा वाद संपत्ति का विभाजन कराने के हकदार हैं।

3. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को विभाजन होने तक वाद की संपत्ति को और अधिक हस्तांतरित करने से रोका जाता है।

21. अपील को ऊपर दर्शाई गई सीमा तक अनुमति दी जाती है तथा पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

22. तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(दीपक कुमार तिवारी)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।